

दिनांक:- 18/05/2020

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

व्य :- कार्यापरांत स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग (एन0एच0-24) के किमी0 244.245, ग्राम नरियावल में कॉम्पैटेंट लिटर्स एण्ड डवलपर्स द्वारा विकसित किए जा रहे इण्टरनेशनल सिटी के सम्यक मार्ग हेतु 0.097035 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्यक में। (FP/UP/Others/21657/2016)

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 4177/14-1, दिनांक 07.05.2020।
सहोदय,

भारत सरकार के पत्रांक 8वीं/यूपी/06/22/2020/एफसी/591, दिनांक 09.03.2020 द्वारा विषयक प्रस्ताव के सापेक्ष कतिपय शर्तों के अधीन संद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। भारत सरकार द्वारा लगायी गयी उक्त शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित की जा रही है-

शर्त संख्या	शर्त	शर्त के सापेक्ष अनुपालन आख्या
01	02	03
01	Legal status of the Forest land shall remain unchanged.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
02	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 0.19407ha. degraded forest land (Compartment No./Khasra No. Not provided, Vill- Bhindauliya, Tehsil- Bareilly, District-Bareilly) at the cost of the user agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	शर्त के अनुसार प्रभावित वन भूमि का दुगुना अर्थात् (0.097035×2) 0.19407 हे0 के सापेक्ष 200 वृक्षों के रोपण एवं 10 वर्षों के रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु0 2,59,795.00 ऑनलाईन उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा मद में जमा कर दी गयी है। जमा की गयी धनराशि का यूटीआर सं0 PUNBR52020051212994939 दिनांक 12.05.2020 द्वारा पंजाब नेशनल बैंक, बरेली। ऑनलाईन पेमेन्ट हिस्ट्री की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। (संलग्नक-1)
	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per revised compensatory afforestation scheme for plantation of 100 plants and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme will be for plantation of 100 trees and may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	याचक विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

Competent Builders & Developers



Competent Builders & Developers

Site Office: Opp. Mahalaxmi Dharam Kanta, Behind Bichia Choti Temple, Nariyawal, Bareilly (U.P.) - 243123

Correspondence Office: P-06/14G, Deen Dayal Puram, Bareilly (U.P.) - 243122

Mob.: 83929 21962, 0581-2530016, Email: cc.bareilly@gmail.com

Website: www.competentgroup.in, www.competentinternationalcity.com

Partner

Competent

	Present Value (NPV) of the Net Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP © No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pl.II) dated 18/09/2003m as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	शर्त के अनुसार एनपीवी की आवश्यक धनराशि मु०रु० 60,744.00 ऑनलाईन उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा मद में जमा कर दी गयी है। जमा की गयी धनराशि का गूटीआर सं० PUNBR52020051212994939 दिनांक 12.05.2020 द्वारा पंजाब नेशनल बैंक, बरेली।
05	Additional amount of the NPV of the diverted Forest Land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee., shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न की जा रही है। (संलग्नक-2)
06	Penal NPV to be imposed & collected as per the FCA Guidelines and deposited to CAMPA fund.	शर्त के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उत्सर्जन के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के पैरा 3(1) एवं (2) में दिये गये निर्देशानुसार दण्डात्मक राशि मु०रु० 3,66,934.00 ऑनलाईन उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा मद में जमा कर दी गयी है। जमा की गयी धनराशि का गूटीआर सं० PUNBR52020051212994939 दिनांक 12.05.2020 द्वारा पंजाब नेशनल बैंक, बरेली।
07	The penalty for violation shall be calculated as per the guidelines dated 29.01.2018 and Penal NPV Calculation has to be submitted.	याचक विभाग से सम्बन्धित नहीं है।
08	All the funds received from the User Agency under this project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (http://parivesh.nic.in/)	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
09	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of the concerned Divisional Forest Officer.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
10	The Complete Compliance of FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
11	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
12	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

Competent Builders & Developers



Competent Builders & Developers

Site Office: Opp. Mahalaxmi Dharam Kanta, Behind Bichia Choti Temple, Nariyawal, Bareilly (U.P.) - 243123

Correspondence Office: P-06/14G, Deen Dayal Puram, Bareilly (U.P.) - 243122

Mob.: 83929 21962, 0581-2530016, Email: cc.bareilly@gmail.com

Partner

Competent

रिश्ता विश्वास का!

	and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt. 29/01/2018	
13	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

उक्त के सम्बन्ध-में आपसे अनुरोध है कि विषयक अनापत्ति हेतु आवश्यक अग्रोत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

Competent Builders & Developers

(विपिन कुमार)

डायरेक्टर

कॉम्पीटेंट बिल्डर्स एंड डेवेलपर्स, बरेली



Competent Builders & Developers

Site Office: Opp. Mahalaxmi Dharam Kanta, Behind Bichia Choti Temple, Nariyawal, Bareilly (U.P.) - 243123

Correspondence Office: P-06/14G, Deen Dayal Puram, Bareilly (U.P.) - 243122

Mob.: 83929 21962, 0581-2530016, Email: cc.bareilly@gmail.com

Website: www.competentgroup.in, www.competentinternationalcity.com

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Sl Detail	Application No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
Others/21657/2016 Facto Proposal in of 0.097035 Ha. and for approach road International City by Competent & Developers at Vill al on Bareilly - Bangpur Road Km Stone -245 NH-24 District	OTHERS216572016003	1992165700309	Mar 2020	CA: 259795/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 60744/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 68743/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Penal NPV : 366894/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/51111123912152TPI.Lcome.p Generated Challan (./UserAccount/Nett_ChallanCorp.asp pid=OTHERS216572016003)

Competent Builders & Developers

Director

india.gov.in

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India

(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)

(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India

Meity (HTTP://MEITY.GOV.IN/)

my GOV (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)

GOV.BHARAT

(/INDIA.GOV.IN/)

(/WWW.NIC.IN/)

For any Technical support, Please Contact EFCID, NIC, New Delhi,
monitoring-tc(at)nic(dot)in

Government Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
& Conditions (https://parivash.nic.in/TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (https://parivash.nic.in/PrivacyPolicy.aspx) | Copyright Policy
(https://parivash.nic.in/CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (https://parivash.nic.in/HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement
(https://parivash.nic.in/AccessibilityStatement.aspx) | Disclaimer (https://parivash.nic.in/Disclaimer.aspx) | Contact Us (https://parivash.nic.in/contact.aspx)

प्रस्तावित वन-भूमि को शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा करने की
वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या- एफ0एन0 5-3/2007 (एफ0 सी0, डिवीजन) दिनांक 05.02.2009 द्वारा 30 वर्षों के लिए वन भूमि के हस्तान्तरण/गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्धारित नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी0) दरों के अनुसार धनराशि को कॉम्पीटेन्ट बिल्डर्स एंड डेवेलपर्स द्वारा वन विभाग को ई-पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से भुगतान कर दिया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त दरों में बढोत्तरी होने पर धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

Competent Builders & Developers

(बिपिन कुमार)

डायरेक्टर

कम्पीटेन्ट बिल्डर्स एंड डेवेलपर्स

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।
पत्रांक 4557 / 14-1, बरेली, दिनांक, 15 जून, 2020।

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्य जीव, बरेली वृत्त, बरेली।

विषय :- कार्योपरान्त स्वीकृति (**Ex-post Facto**) के अन्तर्गत जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग (एन0एच0-24) के किमी0 244.245, ग्राम नरियावल में कॉम्पैटेन्ट बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स द्वारा विकसित किए जा रहे इण्टरनेशनल सिटी के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.097035 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (FP/UP/Others/21657/2016)

सन्दर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 11-सी-1833, दिनांक 12.03.2020 के द्वारा प्राप्त भारत सरकार का पत्रांक 8वी/यूपी/06/22/ 2020/एफसी/591, दिनांक 09.03.2020।

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 09.03.2020 के द्वारा विषयक मामले में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के सापेक्ष प्रस्तावक विभाग द्वारा अक्षरशः अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी है। (संलग्नक-1) प्रस्तावक विभाग से प्राप्त अनुपालन आख्या के अनुसार सहमति सहित अनुपालन आख्या निम्नवत् नियत प्रारूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है-

शर्त संख्या	शर्त	शर्त के सापेक्ष अनुपालन आख्या
01	02	03
01	Legal status of the Forest land shall remain unchanged.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा।
02	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 0.19407 ha. Degraded forest land (Compartment No./Khasra No. Not provided, Vill-Bhindaulya, Tehsil-Bareilly, District-Bareilly) at the cost of the user agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	शर्त के अनुसार प्रभावित वन भूमि का दुगना अर्थात (0.097035×2) 0.19407 हे0 के सापेक्ष 200 वृक्षों के रोपण एवं 10 वर्षों के रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि मु0रु0 2,59,795.00 ऑनलाईन उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा मद में जमा कर दी गयी है। जमा की गयी धनराशि का यूटीआर सं0 PUNBR52020051212994939 दिनांक 12.05.2020 द्वारा पंजाब नैशनल बैंक, बरेली। ऑनलाईन पेमेन्ट हिस्ट्री की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। (संलग्नक-2)
03	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per revised compensatory afforestation scheme for plantation of 100 plants and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme will be for plantation of 100 trees and may include appropriate provision	शर्त के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि का आकलन कर धनराशि की माँग याचक विभाग से की गयी। क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राक्कलन की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। (संलग्नक-3)



	for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	
04	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.097035 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP © No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003m as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	शर्त के अनुसार एन0पी0वी0 की आवश्यक धनराशि मु0रु0 60,744.00 ऑनलाईन उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा मद में जमा कर दी गयी है। जमा की गयी धनराशि का यूटीआर सं0 PUNBR52020051212994939 दिनांक 12.05.2020 द्वारा पंजाब नैशनल बैंक, बरेली।
05	Additional amount of the NPV of the diverted Forest Land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee., shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न की जा रही है। (संलग्नक-4)
06	Penal NPV to be imposed & collected as per the FCA guidelines and deposited to CAMPA fund.	शर्त के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के पैरा 3बी(1) एवं (2) में दिये गये निर्देशानुसार दण्डात्मक राशि मु0रु0 3,66,894.00 ऑनलाईन उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा मद में जमा कर दी गयी है। जमा की गयी धनराशि का यूटीआर सं0 PUNBR52020051212994939 दिनांक 12.05.2020 द्वारा पंजाब नैशनल बैंक, बरेली।
07	The penalty for violation shall be calculated as per the guidelines dated 29.01.2018 and Penal Calculation has to be submitted.	शर्त के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के पैरा 3बी(1) एवं (2) में दिये गये निर्देशानुसार दण्डात्मक राशि का प्राक्कलन तैयार किया गया है। प्राक्कलन की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। (संलग्नक-5)
08	All the funds received form the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fundy only through e-portal (http://parivesh.nic.in/)	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा।
09	The boundary of the diveted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost as per the direction of the concerned Divisional Forest Officer.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा।

10	The complete compliance of the FRA,2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा।
11	Any other condition that the Ministry of Enviormane, Forests & Climate Change may stipulate form time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा।
12	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guidline F. No. 11-42/2017-FC dt. 29/01/2018	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है। (संलग्नक-6)
13	The Complete report shall be uploaded on e-portal (http://parivesh.nic.in/)	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा।

प्रारूप-2

शर्त.संख्या	भारत सरकार की इंगित शर्त	अनुपालन आख्या/प्रतिउत्तर की स्थिति
01	02	03
02	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि	2,59,795.00
	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की जमा धनराशि	2,59,795.00
	धनराशि में अंतर	-
	अंतर का कारण	-
04	एनपीबी की धनराशि	60,744.00
	एनपीबी की जमा धनराशि	60,744.00
	धनराशि का अंतर	-
	अंतर का कारण	-
06	अन्य जमा धनराशि	3,66,834.00
	कैम्पा द्वारा सुनिश्चित	

उपरोक्त अनुपालन आख्या संलग्नकों की चार-चार प्रतियाँ सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय
(भारत लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

कमोपरागत स्वीकृति को अन्तर्गत जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग भाग नमिगल (संजमान सं-24) के किमी 244.245 पर कापीटेड बिन्दु पर डेलिगरेस द्वारा विकसित किये जा रहे इन्टरनेशनल सिटी के सम्पूर्ण मार्ग कार्य हेतु 01/07/2025 से 01/07/2025 तक के लिए मासिक प्रयोग की अनुमति को सावधि आवेदन प्रस्तावण का प्रावधान।

अंतिम मूला कार्य

रंग का नाम- बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग किमी 257.130 से 257.431।

रोड नं- 020 रोड

रंग का नाम- बरेली।

प्रति हे०- 1000 फीट की दर से

मासिक की रंग - 200

मानव दिवस दर- रु० 175.00

क्र० सं०	कार्य का विवरण	यूनिट	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	रोड का सारे एन सीमांकन	हे० मी	0.2	48.98	9.80
2	रोड की सफाई	हे० मी	0.2	158.35	71.67
3	मासिक की निशानदेही	रोड मी	200	0.31	62.00
4	मासिक निशान कार्य (0.90x2.10x0.60)	रोड मी	200	43.74	8748.00
5	आवृत्तिवर्ती खांबों का मूल्य	-	100	404.00	40400.00
6	तार का मूल्य (06 लड़ में)	मीट्रिक टन	0.17	84892.00	14431.64
	अन्य व्यय				276.89
	कुल योग				64000.00

दृष्टारोपण कार्य

क्र० सं०	कार्य का विवरण	यूनिट	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	मासिक की कीटनाशक मिलाया	रोड मी	200	0.13	26.00
2	मासिक की मृदा सुधारक का प्रयोग	रोड मी	200	9.92	1984.00
3	फोतो का मूल्य 3 प्रतिशत अधिक	रोड मी	200	70.00	14420.00
4	फोटा दुलान (10 किमी० से 20 किमी०) 3 प्रतिशत अधिक	रोड मी	200	17.50	3605.00
5	फोतो का स्थानीय दुलान	रोड मी	200	5.91	1182.00
6	फोतरोपण व तुरन्त सिमाई	रोड मी	200	4.87	974.00
7	आवृत्तिवर्ती खांबों की प्राइडिंग	रोड मी	100	196.00	19600.00
8	खांबों का स्थानीय दुलान	रोड मी	100	3.28	328.00
9	तार की सिमाई	प्रति रोलिंग मी०	2000	0.85	1700.00
10	फोतो की सिमाई 0 बार टैन्डर द्वारा	प्रति फीट	1800	2.90	5220.00
11	निमाई मुदाई 2 बार	प्रति फीट	400	1.13	452.00
12	सामाजिक उर्वरक (गोबर खाद/डी०ए०पी०)	हे० मी	0.2	600.00	120.00
13	बोर्ड	-	1	4000.00	4000.00
14	टैन्डर टैन्डर मरमत	-	1	LS	1100.00
	अन्य व्यय				289.00
	कुल योग				55000.00

अनुसूचक प्रथम वर्ष से नवम वर्ष तक

क्र० सं०	कार्य का विवरण	यूनिट	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पुराने की मासिकों पर 10 प्रतिशत प्राइडिंग का कार्य	प्रति फीट	20	4.87	97.40
2	फोतो का मूल्य	प्रति फीट	20	70.00	1400.00
3	स्थानीय दुलान	प्रति फीट	20	5.91	118.20
4	फोतो की निमाई मुदाई कार्य 3 बार	प्रति फीट	600	1.13	678.00
5	निमाई कार्य 12 बार	प्रति फीट	2400	2.90	6960.00
6	सामाजिक खाद 01 बार	हे० मी	0.2	600.00	120.00
	अन्य व्यय				626.40
	कुल योग				10000.00

(मोहरा लाल)
प्रमाणित यन्त्रिकारी
वन एवं अन्य फीट प्रमाण

1	अनुसंधान कार्य द्वितीय वर्ष (10 प्रतिशत अतिरिक्त)	-	-	-	11000.00
2	अनुसंधान कार्य तृतीय वर्ष (10 प्रतिशत अतिरिक्त)	-	-	-	12100.00
3	अनुसंधान कार्य चतुर्थ वर्ष (10 प्रतिशत अतिरिक्त)	-	-	-	13310.00
4	अनुसंधान कार्य पंचम वर्ष (10 प्रतिशत अतिरिक्त)	-	-	-	14641.00
5	अनुसंधान कार्य षष्ठम वर्ष (10 प्रतिशत अतिरिक्त)	-	-	-	16105.10
6	अनुसंधान कार्य सप्तम वर्ष (10 प्रतिशत अतिरिक्त)	-	-	-	17715.61
7	अनुसंधान कार्य अष्टम वर्ष (10 प्रतिशत अतिरिक्त)	-	-	-	19487.17
8	अनुसंधान कार्य नवम वर्ष (10 प्रतिशत अतिरिक्त)	-	-	-	21435.89
	कुल योग				125794.77

अनुसंधान कार्य दशम वर्ष तक

क्र० सं०	कार्यो का विवरण	युनिट	मात्रा	दर	घनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पीसी की निराई गुड़ाई कार्य 3 बार	3 बार	600	1.12	672.00
2	सिचाई कार्य 6 बार	6 बार	1200	2.88	3456.00
3	अन्य				5000.00
	योग-				

क्षेत्रीय वृक्षारोपण का सारांश

क्र० सं०	कार्यो का विवरण	युनिट	मात्रा	दर	घनराशि
1	2	3	4	5	6
1	अग्रिम मृदा कार्य				64000.00
2	वृक्षारोपण कार्य				55000.00
3	अनुसंधान कार्य प्रथम वर्ष				10000.00
4	अनुसंधान कार्य द्वितीय वर्ष				11000.00
5	अनुसंधान कार्य तृतीय वर्ष	-	-	-	12100.00
6	अनुसंधान कार्य चतुर्थ वर्ष	-	-	-	13310.00
7	अनुसंधान कार्य पंचम वर्ष	-	-	-	14641.00
8	अनुसंधान कार्य षष्ठम वर्ष	-	-	-	16105.10
9	अनुसंधान कार्य सप्तम वर्ष	-	-	-	17715.61
10	अनुसंधान कार्य अष्टम वर्ष	-	-	-	19487.17
11	अनुसंधान कार्य नवम वर्ष	-	-	-	21435.89
11	अनुसंधान कार्य दशम वर्ष	-	-	-	5000.00
	कुल योग				259794.77
				Or Say	259795.00

रु० दो लाख उनसठ हजार सात सौ पचास मात्र।

(मोहर लाल)
प्रभागिय योजनाधिकारी
वन एवं मत्स्य जीव प्रभाग
हरली

Calculation of Penalty for Voilation of Forest (Conservation) Act 1980

Proposal Details :- Diversion of 0.097035 ha. Forest Land for approach road to "International City" developed by Competent Builders & Developers at Vill Nariyawal on Bareilly-Shahjahanpur Road Km Stone 244-245 NH-24 in District Bareilly.

Net Present Value (NPV) Calculation for Proposed Forest Land As Per Instruction Received from Nodal Office

Proposed Forest Land for Diversion (Eco Class-III and Forest Density is 0.2) =
0.097035 Ha.

Net Present Value (NPV) Rate = Rs. 626000.00 per hectare

Calculated NPV of Proposed Forest Land = Rs (0.097035 x 626000) = 60743.91

Or say = 60744.00

Since the proposer has violated the Forest Conservation Act 1980 before applying it, According Para 3B(i) Government of India letter No. 11-42 /-2017-FC date 29.01.2018, the penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum up to five (5) times of the NPV plus 12 percent simple interest till the deposit is made. (Estimated date of deposition 31st May 2020)

Thus the Penalty Amount for 4 years = Rs. 60744.00 x 4

= Rs. 2, 42,976.00 + 12% Simple Interest till the date of deposition

= Rs. 2, 42,976.00 x 12/100 x 4 = 1, 16,628.48 (Intrest from March 2016 to Feb 2020)

= Rs. 2, 42,976.00 x 12/100 x 3/12 = 7,289.28 (Intrest from 1st March 2020 to 31st May 2020)

= Rs. 2, 42,976.00 + 1, 16,628.48 + 7,289.28

= Rs. 3, 66,893.76

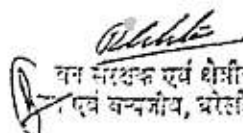
Or Say = Rs. 3, 66,894.00

Place : Bareilly

Date:

(Bharat Lal)

Divisional Director
Social Forestry Division Bareilly


वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
एन वन्यजीव, प्रोत्सायन, प्रोत्सायन, प्रोत्सायन।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मै, भारत लाल, प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग (कार्योपरान्त स्वीकृति **"Ex-post Facto"** के अन्तर्गत जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग (एन0एच0-24) के किमी0 244.245, ग्राम नरियावल में कॉम्प्यूटेन्ट बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स द्वारा विकसित किए जा रहे इण्टरनेशनल सिटी के, सम्पर्क मार्ग हेतु 0.097035 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव) के सम्बन्ध में स्वयं दिनांक 09.06.2020 को मौका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि प्रस्तावक के द्वारा पूर्व में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया था जिसके क्रम में भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 में दिये गये निर्देशों के क्रम में दण्ड स्वरूप जमा की जाने वाली धनराशि वसूल की गयी। वर्तमान में मौके पर किसी भी प्रकार से वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।



(भारत लाल)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

